संख्या-45/2022/1058जे0/22-5-22-137एचआरसी/2018

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 23 मई,2022

विषय- जिला कारागार, गोण्डा के विचाराधीन बंदी प्रमोद कुमार सैनी पुत्र स्व0 राम कुमार सैनी की दिनांक 14-05-2018 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-11644/24/33/2018-जेसीडी, दिनांक 30-09-2021 द्वारा की गयी संस्तुति के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, की संस्तुति दिनांक 30-09-2021 के अनुपालन में जिला कारागार, गोण्डा के विचाराधीन बंदी प्रमोद कुमार सैनी पुत्र स्व0 राम कुमार सैनी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारी को धनराशि रू0 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) का मुआवजा भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2021-2022 में शासनादेश संख्या-24/2022/470जे0/22-5-22-137एचआरसी/ 2018, दिनांक 31-03-2022 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुलिस उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14838/मा0अनु0(1)/ 149/2018 अयोध्या परिक्षेत्र, दिनांक 10-05-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अत्यन्त अल्प समय होने के कारण उक्त धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ परिजनों को नहीं किया जा सका। उक्त धनराशि की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 मे जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-24/2022/470जे0/22-5-22-137एचआरसी/ 2018, दिनांक 31-03-2022 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को संगत वर्ष में धनराशि का आहरण न होने के कारण निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल जिला कारागार, गोण्डा के विचाराधीन बंदी प्रमोद कुमार सैनी पुत्र स्व0 राम कुमार सैनी की दिनांक 14-05-2018 को हुयी मृत्यु के प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति दिनांक 30-09-2021 के अनुपालन में विचाराधीन बंदी के आश्रितों/निकटस्थ सम्बन्धी को धनराशि रू0 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वर्ष-2022-2023 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2022-2023 में समय से कर लिया जायेगा तथा आहरित धनराशि का उपयोग नियमानुसार ही किया जायेगा इसका दायित्व कारागार मुख्यालय का होगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का आहरण पूर्व में नहीं किया गया है।

5- उक्त धनरशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रश्नगत केस में पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

7- महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव ।

संख्या-45/2022/1058जे0(1)/22-5-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा /अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान बंदी के आश्रित/निकटस्थ रक्त सम्बन्धी को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, गोण्डा ।

5- चिकित्सा अनुभाग-2

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।

7- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in